7-5-17 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वकील उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के वकील प्रकरण में रेकार्ड में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार भूमि का मीट्स एण्ड बाउड्स से विभाजन करने हेतु विभाजन स्कीम मंगाने पर सहमत हैं। अतः वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख०नं० $\frac{268}{0.30}$, $\frac{269}{0.65}$, $\frac{275}{0.10}$, $\frac{276}{0.01}$ ग्राम अलीगंज में दर्ज पक्षकारों के हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से भूमि की विभाजन स्कीम तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। विभाजन स्कीम तलब होकर पत्रावली दि० 1-5-17 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

1-5-17 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। विभाजन स्कीम तलब होकर पत्रावली दि० 25-5-17 को पेश हो। 2133-36

25-5-17 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से विभाजन स्कीम प्राप्त हो गई है। पत्रावली दि० 9-6-17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प अहमदपुर पर पेश हो।

9-6-17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अहमदपुर पर पेश हुई। वादी इस्लामुद्दीन, प्रतिवादी फारूख तथा प्रतिवादी कादू के पुत्र उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा पेश कर विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है। नि० इस्लामुद्दीन

फारुख पा/कु

पप्पू

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.................. को पेश हो।

रीडर

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है :-

1. इस्लामुद्दीन पुत्र ~~ख~~ साजू खां जाति मेहर मुसलमान दर्जी की खातेदारी में भूमि ख०नं० 269 रकबा 44 एयर, ख०नं० 268/1 रकबा 0.09 हैक्टर कुल रकबा 53 एयर ग्राम अलीगंज रहेगी।

2. बाबू पुत्र बाबुल्ला मुसलमान सा०देह की खातेदारी में भूमि ख०नं० 269/1 रकबा 0.08 हैक्टर ग्राम अलीगंज रहेगी।

3. वकीला बानो पत्नि याकूब अली, मुसलमान सा०देह की खातेदारी में भूमि ख०नं० 269/2 रकबा 0.13 हैक्टर ग्राम अलीगंज रहेगी।

4. फाकरु पुत्र राजुद्दीन, मुसलमान बंजारा की खातेदारी में भूमि ख०नं० 275 रकबा 0.10 हैक्टर ख०नं० 276 रकबा 0.01 हैक्टर, ख०नं० 268 रकबा 0.21 हैक्टर कुल रकबा 0.32 हैक्टर ग्राम अलीगंज रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के अलग अलग लगान व खाते कायम किए जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(हस्ताक्षर)
(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर

पीठासीन अधिकारी–: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

इस्लामुद्दीन पुत्र खाजूखॉ, महार मुसलमान दर्जी निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर ––वादी

बनाम

1. फारूख पुत्र राजूदीन, मुसलमान बंजारा निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
2. श्रीमती वकीला बानो पत्नी याकूब अली, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
4. कादू पुत्र वादुल्ला मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 52/2015

वादी की ओर से वादी इस्लामुद्दीन की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी फारूख की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 9.6.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निस्टारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार पक्षकारो के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है–

1. इस्लामुद्दीन पुत्र खाजू खॉ जाति महार मुसलमान दर्जी की खातेदारी में भूमि ख0न0 269 रकबा 44 एयर, ख0न0 268/1 रकवा 0.09 हेक्टर कुल रकवा 53 एयर ग्राम अलीगंज रहेगी।
2. कादू पुत्र बादुल्ला मुसलमान सा.देह की खातेदारी में भूमि ख0न0 269/1 रकबा 0.08 हेक्टर गग्रम अलीगंज रहेगी।
3. वकीला बानो पत्नी याकूब अली मुसलमान सा.देह की खातेदारी मे भूमि ख0न0 269/2 रकबा 0.13 हेक्टर ग्राम अलीगंज रहेगी।
4. फारूख पुत्र राजूद्दीन, मुसलमान बंजारा की खातेदारी में भूमि ख0न0 275 रकबा 0.10 हेक्टर, ख0न0 276 रकबा 0.01 हेक्टर, ख0न0 268 रकबा 0.21 हेक्टर कुल रकबा 0.32 हेक्टर ग्राम अलीगंज रहेगी। इसी अनुसार पक्षकारो के अलग अलग लगान व खाते कायम किये जावे। विभाजन स्कीम एवं राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 9.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. अर्जी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ________रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

शा०२हे
(स्टाम्प)
9-6-2017
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रपत्र–1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ....अहमदपुरा....

नम्बर मुकदमा....52/15....

उनवान मुकदमा....इस्लामुद्दीन....

बनाम

फारुख वगैरा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान....अहमदपुरा....

दिनांक....9/6/17....

फारुख

पप्पू

पाकुल

प्रपत्र–4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– अहमदपुर

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,, दिनांक 9/6/17

कैम्प-अहमदपुर

इस्लामुद्दीन बनाम महमूद वगैरह

प्रकरण संख्या :– 52/15 अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री इस्लामुद्दीन

... है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गयी है अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :– [illegible handwritten terms]

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. इस्लामुद्दीन
2.
3.
4. रविकुमार (सरपंच ग्राम पंचायत अहमदपुर पं.स. गंगापुर सिटी (स.मा.))

प्रतिवादी पक्ष 1.
2. फारुख
3. बच्चू
4. याकूब

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ...
नाम ...

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर रविकुमार (सरपंच ग्राम पंचायत अहमदपुर पं.स. गंगापुर सिटी (स.मा.))
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ...

प्रार्थी/वादी इस्लामुद्दीन एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी फारुख, द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

सतीश कुमार शर्मा
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल ...)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी